


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

शाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 1988/पौष 21, 1909
No. 29] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 1988/PAUSA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1988

अधिमूचना

प्रलेख सं० मी०डी०-51/88

का० आ० 49(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ तिरानवेवां संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में—

(क) “विदेश मंत्रालय” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 42 के पश्चात् और टिप्पण के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“43. विशेष राष्ट्रमंडलीय अफीकन सहायता योजना कार्यक्रम के अधीन अफीकन देशों को भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता।”;

(ख) “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “क. आर्थिक कार्य विभाग” उप शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

“10 कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन कोलम्बो योजना के सदस्य देशों को भारत द्वारा की गई तकनीकी सहायता।”।

आर० शंकररामन्

राष्ट्रपति

[फा० सं० 74/2/2/87-मंत्रि०]

दीपक दाम गुप्ता, संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 9th January, 1988

NOTIFICATION

Doc. No. CD-51|88.

S.O. 49(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninety-third Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the second Schedule—

(a) under the heading “MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)”, after entry 42 and before the Note, the following entry shall be inserted, namely :—

“43. Technical Assistance given by India to African countries under the Special Commonwealth African Assistance Plan Programme.”;

(b) under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)”, for entry 10, the following entry shall be substituted, namely :—

“10. Technical assistance given by India to the member countries of the Colombo Plan under Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan.”.

R. VENKATARAMAN
PRESIDENT

[F. No. 74|2|2|87-Cab.]

DEEPAK DASS GUPTA, Jt. Secy. to the Cabinet.

